Substituted bearing same number and date

प्रेषक

निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
हरियाणा, पंचकुला।

सेवा में,

1. सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास,
हरियाणा राज्य में।
2. सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी,
हरियाणा राज्य में ।

क्रमांक 3549-3618 सी0डी0–11/डब्लयु0सी0डी/2018
दिनांक 23/04/18

विषय –: आंगनवाडी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं/मिनी आंगनवाडी कार्यकताओं के मानदेय में दिनांक 01.02.2018 से बढ़ौतरी करने बारे।

....

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको सूचित किया जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की मानदेय में वृद्धि करने की मांग पर वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 1/63/2005–5एफ0जी0–ाा/9391 दिनांक 20.04.2018 द्वारा सहमति प्राप्त हुई है। यह बढौतरी दिनांक 01.02.2018 से निम्न अनुसार की गई है।

Category	Total Existing honorarium per month per Angnawadi Worker/Helper	Total Revised honorarium
Anganwadi Worker having experience of more than 10 years	Rs. 8140/-	Rs. 11429/-
Anganwadi Worker having experience of less than 10 years	Rs. 8140/-	Rs. 10286/-
Mini Angnawadi Worker	Rs. 4250/-	Rs. 10286/-
Anganwadi Helper	Rs. 3820/-	Rs. 5715/-

अतः आपको आदेश हैं कि आप आंगनवाडी कार्यकर्ताओं /सहायिकाओं/मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को उपरोक्त अनुसार मानेदय की अदायगी करें।

अतिरिक्त निदेशक–ाा
कृते: निदेशक, महिला एंव बाल विकास विभाग,
हरियाणा, पंचकुला।

पृ0क्रमांक 3619-21 सी0डी0–11/डब्लयु0सी0डी/2018 दिनांक 23/04/2018

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजि सचिव/मुख्यमंत्री हरियाणा।
2. निजि सचिव /महिला एवं बाल विकास मंत्री, हरियाणा।
3. निजि सचिव /प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास हरियाणा।

अतिरिक्त निदेशक–ाा
कृते: निदेशक, महिला एंव बाल विकास विभाग,
हरियाणा, पंचकुला।

प्रेषक

निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,हरियाणा
पंचकूला ।

सेवा में

सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एंव बाल विकास विभाग,
हरियाणा पंचकूला ।

क्रमांक 57611-31/एस0ए-3 /डब्ल्यू0सी0डी0/2018 दिनांक 27/3/18

विषयः– हैल्पर का ड्रैस कोड बदलने बारे ।

उपरोक्त विषय पर आंगनवाडी वर्करस एवं हैल्पर यूनियन द्वारा की गइ मांग पर विभाग द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये उन्हें सहायिकाओं का ड्रैस कोड प्रारम्भिक वर्षों अनुसार पर्पल (हल्का बैंगनी) रंग को ही लागू करने के आदेश दिए जाते हैं।

अतिरिक्त निदेशक
कृते निदेशक,महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा
पंचकूला ।

CD-11 Draft

Scanned by CamScanner

प्रेषक

निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
हरियाणा, पंचकूला ।

सेवा में

1. सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास।
2. सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी
हरियाणा राज्य में।

क्रमॉक 10589-757/सी.डी.1/डब्लयू.सी.डी./2018 दिनॉक 04/06/18

विषयः– **आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की गर्मी व सर्दी की छुटि्टयां करने बारे ।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों की दिनांक 16 जून से 30 जून तक गर्मी की छुटि्टयां व 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक सर्दी की छुटि्टयां करने बारे अधिसूचना जारी करवाई जा चुकी है अधिसूचना की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
हरियाणा, पंचकूला।

Scanned by CamScanner

Haryana Government
Women and Child Development Department
Notification

The --31-05------2018

No. 794-SW(3)2018- In order to implement summer and winter vacations for the children of Anganwadi centres the Governor of Haryana is pleased to issue following guidelines in the state of Haryana. These guidelines shall come into force w.e.f. 27.03.2018.

i. The summer vacation of the children of Anganwadi Centres will be held from 16th June to 30 June.

ii. The winter vacation of the children of Anganwadi Centres will be held from 25th December to 8th January.

iii. During these vacations Anganwadi centres will remain open. Anganwadi Worker and Anganwadi Helper will maintain Anganwadi centres, Pre School Education kit and complete the record related to anganwadi centre.

iv. During these vacations the beneficiary (mothers & children) will be provided supplementary nutrition in the form of raw food items in advance.

v. During these vacations immunization session will be held on the fixed day for immunization.

Dr. Raja Sekhar Vundru,
Principal Secretary to Government Haryana,
Women& Child Development Department

Chandigarh,
Dated the 25-05-2018

Endst. No. 794- **SW(3)/2018** **dated** 31-05-2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Director, Women & Child Development Department Haryana, Panchkula.
2. Accountant General (A&E) & Audit, Haryana Chandigarh.

Raghubir Singh
Superintendent (SW)
for Principal Secretary to Government Haryana
Women & Child Development Department, Haryana

Endst. No. 794- **SW(3)/2018** **dated** 31-05-2018

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationary Department, Haryana, Sector-6 ,Panchkula for publication of Notification in Haryana extra Govt. Gazette.

Raghubir Singh
Superintendent (SW)
for Principal Secretary to Government Haryana
Women& Child Development Department, Chandigarh

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

हरियाणा सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
नोटिफिकेशन

31-05-2018

न0 794 एस0डब्लयू0 (3) 2018 हरियाणा के राज्यपाल द्वारा हरियाणा राज्य के आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की गर्मी एवं सर्दी की छुटि्टयां करने हेतू निम्न हिदायतें जारी की गई हैं यह हिदायतें दिनांक 27.03.2018 से लागू की जाएंगी।

1. आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों की गर्मी की छुटि्यां दिनांक 16 जून से 30 जून तक की जायेंगी।
2. आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों की सर्दी की छुटि्यां दिनांक 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक की जायेंगी।
3. इन छुटि्यों के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र पूर्ववत खुले रहेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर/हैल्पर द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के रख-रखाव, अनौपचारिक पूर्व शिक्षा किट तथा केन्द्र का रिकार्ड पूर्ण किया जायेगा।
4. इन छुटि्टयों के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र के लाभपात्रों (बच्चों एवं महिलाए)को पूरक पोषाहार कच्चे राशन के रूप में अग्रिम रूप से दिया जायेगा।
5. इन छुटि्टयों के दौरान टीकाकरण के लिए टीकाकरण सेशन नियत दिन पर पूर्ववत आयोजित किया जायेगा।

चण्डीगढ़,
दिनांकः– 25.05.2018

डॉ0 राजा शेखर वुंद्रु,
प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग चण्डीगढ

अशा0 कमांक 794- न0 एस0डब्लयू0 (3) 2018 दिनांक 31-05-2018

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, पंचकुला।
2. लेखाधिकारी (बजट) एवं ऑडिट चण्डीगढ़।

Raghubir Singh
अधीक्षक (एस0डब्लयू0)
O/c कृतेः प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़

अशा0 कमांक 794- न0 एस0डब्लयू0 (3) 2018 दिनांक 31-05-2018

उपरोक्त की प्रति नियंत्रण, मुद्रण एवं लेखन समाग्री विभाग हरियाणा सैक्टर–6 पंचकुला को अधिसूचना के प्रकाशन के लिए भेजी जाती है।

Raghubir Singh
अधीक्षक (एस0डब्लयू0)
O/c कृतेः प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़

Scanned by CamScanner

प्रेषक

निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
हरियाणा, पंचकूला ।

सेवा में

1. सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास,
हरियाणा राज्य में।
2. सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी,
हरियाणा राज्य में।

क्रमाँक 51234-404/सी.डी.1I/डब्लयू.सी.डी./2019 दिनाँक 15-03-2019

विषय :- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अतिरिक्त चार्ज की दरों में संशोधन करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको सूचित किया जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अतिरिक्त चार्ज की दरों में संशोधन करते हुये वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 1/16/2018/5एफ0जी0-II/5611 दिनांक 06.03.2019 द्वारा सहमति प्राप्त हुई है। यह बढ़ौतरी दिनांक 01.02.2018 से निम्न अनुसार की गई है।

श्रेणी	दिनांक 31.01.2018 तक अतिरिक्त चार्ज की देय राशि	दिनांक 01.02.2018 से अतिरिक्त चार्ज की दर में की गई बढ़ौतरी	संशोधन उपरान्त दी जाने वाली कुल राशि
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (शहरी)	200/-रू0 प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र	50/-रू0	250/- रू0
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (ग्रामीण)	50/-रू0 प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र	200/- रू0	250/- रू0

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उपरोक्त अनुसार अतिरिक्त चार्ज की राशि की अदायगी करें।

निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
हरियाणा, पचंकूला

प्रेषक

निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में

सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास।

कमांक 18028-48 /सी.डी.-7/डब्ल्यू0सी.डी./2018
दिनांक 19/07/2018

विषय:- आंगनवाडी वर्कर/ हैल्पर का स्थानान्तरण/एडजैस्टमैन्ट निति पूनः बहाल करने बारे।

उपरोक्त विषय पर विभाग की हिदायते दिनांक 15.11.2000 एवं 25.01.2008 के निरन्तर में।

आंगनवाडी वर्कर/हैल्पर की यूनियन की मांग के दृष्टिगत आंगनवाडी वर्कर/हैल्पर की स्थानान्तरण/समायोजन नीति बारे पुनः विचार करते हुए "सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित समायोजन नीति दिनाक 25.01.2008 में निम्न प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है:-

1. On Mutual Basis.
2. If Post is vacant where she wants to be adjusted.

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि उक्त नीति अनुसार आंगनवाडी वर्कर/ हैल्पर के स्थानान्तरण/समायोजन के लिए प्राप्त आवेदन पत्र संबन्धित महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से अपनी टिप्पनी सहित निदेशालय पर भिजवाए।

अतिरिक्त निदेशक--II
कृतेः निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
हरियाणा, पंचकूला।